

पंजीकृत डाक द्वारा

नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण

वास्तुकला एवं नियोजन विभाग

मुख्य प्रशासनिक भवन सैक्टर-6 नोएडा (उ०प्र०)

संख्या नोएडा/मु०वा०नि०/2016/ IV - 1496/ 943

दिनांक: 07-12-2016

मैसर्स एडमायर्ड हाईट प्रोजेक्ट्स प्रा० लि०

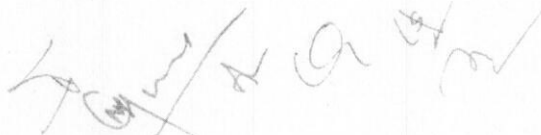
पारस ट्यून टॉवर, सैक्टर - 54,

गुडगाँव

आपके प्रार्थना पत्र दिनांक 13.10.2016 संदर्भ में कार्यदायी संस्था मै० जे०पी० इन्फ्राटेक लि० (पुराना नाम जय प्रकाश इंडस्ट्रीज) एवं यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (पुराना नाम ताज एक्सप्रेस वे) के मध्य निष्पादित कन्सेशन एग्रीमेंट के प्रावधानों के तहत कार्यदायी संस्था को सैक्टर - 128, 129, 131, 133 व 134, नोएडा में हस्तान्तरित भूमि पर नियोजित वाणिज्यिक पॉकेट सं० सी 1 - डी 1, सैक्टर - 133, नोएडा के भवन मानचित्र की स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के साथ प्रदान की जाती है :-

1. यह मानचित्र स्वीकृति की दिनांक से अधिकतम पाँच वर्ष (निर्माण अवधि होने की दशा में) तक वैध रहेगा।
2. मानचित्रों की स्वीकृति से इस भूखण्ड से सम्बन्धित किसी भी शासकीय निकाय जैसे (नगर पालिका, नोएडा प्राधिकरण) किसी अन्य व्यक्ति का अधिकार तथा स्वामित्व किसी प्रकार से भी प्रभावित (एफेक्टेड) नहीं माना जाएगा।
3. भवन मानचित्र जिस प्रयोजन हेतु स्वीकृत कराया गया है केवल उसी प्रयोग में लाया जाएगा।
4. यदि भविष्य में विकास कार्य हेतु कोई विकास व्यय मांगा जाएगा तो वह बिना किसी आपत्ति के वैध होगा।
5. दरवाजे व खिड़कियाँ इस तरह से लगाये जायेंगे कि जब वह खुले तो उसके पल्ले किसी सरकारी भूमि, या सड़क की ओर बढ़ाव (प्रोजेक्टेड) न हों।
6. उप पट्टा धारक द्वारा बिजली की लाईन से पाँच फुट के अन्दर कोई निर्माण कार्य नहीं किया जायेगा।
7. उप पट्टा धारक द्वारा भवन सामग्री भूखण्ड के सामने रखने से सड़क पर यातायात अवरोध नहीं होना चाहिए।
8. स्वीकृत मानचित्रों का एक सैट निर्माण स्थल पर रखना होगा ताकि उसकी मौके पर कभी भी जाँच की जा सके तथा निर्माण कार्य स्वीकृत मानचित्रों के स्पेसिफिकेशन, नोएडा भवन नियमावली के नियमों के अनुसार ही कराया जायेगा। उप पट्टा धारक द्वारा तहखाने का निर्माण कार्य पूरा करने के उपरान्त तहखाने का नगर नियोजन एवं वास्तुकला विभाग, नोएडा द्वारा निरीक्षण कराने के बाद ही भूतल का कार्य शुरू करेगा। अन्यथा स्वीकृत मानचित्र स्वतः निरस्त माना जायेगा।
9. उप पट्टा धारक द्वारा मेजेनाइन तल/अन्य तल का स्वीकृत मानचित्र के अनुसार ही निर्माण करायेगा अन्यथा स्वीकृत मानचित्र स्वतः निरस्त माना जायेगा।
10. साईड अथवा बैक लेन में किसी भी प्रकार से रेम्प /सीढ़ियों का निर्माण नहीं किया जायेगा।
11. उप पट्टा धारक द्वारा जल एवं मल की निकासी की व्यवस्था जे०पी० इन्फ्राटेक लि० द्वारा स्थापित ड्रेनेज एवं मेन सीवर में करेगा तथा पीने योग्य पानी के लिए जल कनेक्शन मै० जे०पी० इन्फ्राटेक लि० से नियमानुसार प्राप्त करेगा।
12. उप पट्टा धारक सन्दर्भित योजना में दिनांक 20.02.2015 को स्वीकृत भू-विन्यास मानचित्र के स्वीकृत पत्र, कन्सेशन एग्रीमेंट एवं उप पट्टा प्रलेख में उल्लेखित सभी शर्तों का पालन करने के लिए बाध्य होगा।
13. यह मानचित्र स्वीकृति की दिनांक से अधिकतम पाँच वर्ष की अवधि तक वैध रहेगा बशर्ते उप पट्टा धारक के पट्टे के अधिकार उपलब्ध हों अथवा उसको पुनर्जीवित करा लिया हो। पट्टे का अधिकार उपलब्ध/पुनर्जीवित न होने की दशा में मानचित्र की वैधता, पट्टे की वैधता तिथि तक समझा जायेगा।

14. उप पट्टा धारक द्वारा अधिभोग प्रमाण पत्र हेतु आवेदन करते समय यमुना एक्सप्रेसवे प्राधिकरण से सत्यापन करा कर से नियमानुसार समयवृद्धि पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगा।
15. सन्दर्भित भवन के निर्माण हेतु भूजल की अनाधिकृत निकासी एवं दुरुपयोग नहीं किया जायेगा एवं प्रसंगत क्षेत्र की हाईड्रोलोजी के दृष्टिगत रेनवाटर हार्वेस्टिंग/भू-जल दोहन की व्यवस्था केन्द्रीय भू-जल बोर्ड अथवा उत्तर प्रदेश भू-जल विभाग के प्राविधानों के अन्तर्गत करना होगा।
16. सन्दर्भित भवन के निर्माण के लिए किसी भी दशा में भू-जल दोहन नहीं करेंगे तथा इसके लिए नोएडा प्राधिकरण/अन्य संस्था के एस0टी0पी0 के परिष्कृत जल का उपयोग करेंगे।
17. यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण का सम्पत्ति विभाग सभी उप पट्टा प्रलेख (Sub-Lease deed) का रिकार्ड सम्बन्धित लैण्ड पार्सलवाइज रखना सुनिश्चित करेगा तथा उप पट्टा धारक (Sub-Lease Lessee) द्वारा समय-समय पर प्रस्तुत Mortgage Permission, Transfer Permission तथा Time Extension के लिए आवेदन पर उपरोक्त कन्सेशन अनुबन्ध के नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।
18. कन्सेशन एग्रीमेंट, उप पट्टा प्रलेख, महायोजना, भवन विनियमावली आदि के यथा संशोधित अद्यतन अधिक नियम, शर्तों, प्रतिबन्धों के प्रावधान इस स्वीकृति पर भी लागू माने जायेंगे।
19. सम्पूर्ण परिसर में विद्युत सुरक्षा, अग्निरामन सुरक्षा, आपदा प्रबन्धन, भूकम्परोधी निर्माण एवं स्ट्रक्चरल सेफ्टी/स्टैबिलिटी आदि के मानकों एवं सम्बन्धित विभागों की गाइड लाइन्स/मानकों/नियमों/शर्तों/शासनादेशों एवं उनकी अनापत्ति प्रमाण पत्र के निर्देशों का अनुपालन समस्त विकास कार्य एवं भवनों के निर्माण तथा अवस्थापना सुविधाओं के विकास में किया जायेगा।
20. सभी भवनों आदि के निर्धारित उपयोग में नोएडा महायोजना - 2031 के जोनिंग एवं सब डिवीजन रेगुलेशन तथा नोएडा भवन विनियमावली - 2010 (यथा संशोधित एवं प्रभावी) में अनुमत्य क्रियाएँ एवं उपयोग तथा उसके स्पोर्टिंग यूज में अनुमत्य क्रियाएँ एवं उपयोग के अतिरिक्त अन्य किसी भी प्रकार के उपयोग की अनुमति किसी भी दशा में नहीं होगी। यह प्रतिबन्ध मूल पट्टाधारक, उप पट्टाधारक, किरायेदार/उपयोगकर्ता आदि सभी पर लागू होगा।
21. पंजीकरण एवं आवंटन पुस्तिका की शर्तों के अनुसार नोएडा प्राधिकरण द्वारा परियोजना के क्रियान्वित करने एवं परियोजना को पूर्ण कर क्रियाशील किए जाने तक सतत समीक्षा की जायेगी।
22. पंजीकरण एवं आवंटन पुस्तिका एवं उप पट्टा प्रलेख की शर्तों एवं नियमों के अनुसार अवकाश को परियोजना पूर्ण करने हेतु निर्धारित समयावधि के अन्तर्गत परियोजना पूर्ण करनी होगी।
23. सभी प्रकार के विकास कार्य अवस्थापना सुविधाएँ तथा भवनों का निर्माण कार्य समय-समय पर शसकीय नीति/निर्देशों, बी0आई0एस0/आई0एस0 के लागू सुसंगत कोड एवं मानकों के अनुरूप किया जायेगा। तदुपरान्त आवेदन करने के साथ नियमानुसार उनका कम्प्लीशन सर्टिफिकेट प्राप्त करने के उपरान्त ही अधिभोग में लाया जायेगा।
24. सम्पूर्ण परिसर एवं उसके भीतर निर्मित सभी भवनों में शासन की नीति के अनुसार उर्जा संरक्षण एवं वैकल्पिक उर्जा का उपयोग, जलापूर्ति वितरण व्यवस्था एवं भूमिगत जल के उपयोग, जल संरक्षण एवं पुनर्वितरण, वर्षा जल संचयन, परिस्थितिकी एवं पर्यावरण संरक्षण, भूमि खुदाई एवं उत्खनन, वृक्षारोपण/लेण्ड स्केपिंग एवं सामाजिक वानिकी, सीवेज डिस्पोजल एवं सॉलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट आदि की व्यवस्था सबन्धित शासकीय विभागों की गाइड लाइन्स/मानकों/नियमों/शर्तों एवं उनकी अनापत्ति प्रमाण-पत्र के निर्देशों के अनुसार करनी होगी।
25. सम्पूर्ण परिसर एवं उनके भीतर निर्मित सभी विकास कार्य, सामुदायिक एवं जन सुविधाएँ, अवस्थापना सुविधाएँ, सभी स्ट्रक्चर्स, सभी प्रकार के भवनों आदि का गुणवत्ता के साथ विकास, निर्माण, पालन, रख-रखाव, अनुसंधान आवेदक संस्था को स्वयं करना होगा। इस सम्बन्ध में नोएडा प्राधिकरण एवं शासन द्वारा समय-समय पर नीतिगत निर्णय एवं निर्देशों का पूर्णतया पालन करना होगा।
26. सम्पूर्ण परिसर के भीतर निर्मित परिसर/भवन/स्ट्रक्चर/सामुदायिक एवं जन सुविधाएँ/उपयोग आधारित क्रियाओं आदि का उप विभाजन, सब लीज, सब लेटिंग आदि आवेदक संस्था द्वारा आवंटन विनियमावली, पट्टा प्रलेख, नोएडा प्राधिकरण के नियमों व नितियों, भवन विनियमावली - 2010, नोएडा महायोजना - 2031 (यथा संशोधित एवं प्रभावी) के प्राविधानों के अन्तर्गत बिना प्राधिकरण के यथावश्यक पुरानुमति प्राप्त किए आवेदक द्वारा नहीं किया जायेगा।



27. परियोजना के सम्पूर्ण परिसर एवं उसके भीतर निर्मित सभी भवनों में शारीरिक रूप से अक्षम एवं अशक्त व्यक्तियों के लिए आवश्यक सुविधाएं एवं सुगम्यता के दृष्टिगत अवरोधमुक्त परिसर के रूप में विकास एवं निर्माण किया जायेगा।
28. परियोजना के समस्त भवनों का निर्माण, आन्तरिक एवं बाह्य विकास कार्य, आवश्यकता सुविधाएं, जन सेवाएं एवं सामुदायिक सुविधाएँ आदि का विकास पूर्ण करने पर आनेवाला समस्त व्यय आपेक्षक को स्वयं वहन करना होगा, जिसमें देय समस्त शुल्क, चार्जें, टैक्स, लेवी आदि (यथा लागू) भी सम्मिलित हैं।
29. परिसर में प्रस्तावित हरित क्षेत्रफल एवं वृक्षों का रखरखाव गुणवत्तापूर्वक उप पट्टा धारक को स्वयं अपने व्यय पर करना होगा।
30. यह स्वीकृति मैसर्स जे०पी० इन्फ्राटेक लि० द्वारा कब्जा दिये गये क्षेत्रफल के सापेक्ष ही अनुमन्य होगी।
31. प्रस्तावित मानचित्रों में दर्शायी गयी मापें/क्षेत्रफल तालिका में कोई भी बदलाव से पड़ने वाले प्रभाव के लिए उप पट्टा धारक पूर्णतया स्वयं जिम्मेदार होगा।
32. प्रस्तावित अपार्टमेंट्स के निर्माण के सन्दर्भ में उत्तर प्रदेश अपार्टमेंट (Promotion of Construction, ownership & Maintenance) एक्ट, 2010 एवं 2016; नियम व उपविधि तथा इसके अधीन जारी निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा।
33. प्राधिकरण इसकी अनुमति विशेष कारणों से केवल इसी योजना के लिए प्रदान करेगा एवं इस प्रकार किसी अन्य योजना के लिए इस प्रकरण को दृष्टान्त के रूप में संबन्धित नहीं किया जायेगा।
34. उ०प्र० रियल इस्टेट एक्ट, 2016 (Regulation and development) एवं उसके अधीन प्राविधानित नियम, 2016 के समस्त प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा।
35. यह अनुमोदन एक समर्थकारी उपबन्ध (Enabling Provision) होगा एवं यह उप पट्टा धारक को अधिकार के रूप में अनुमन्य नहीं होगा।
36. स्थल पर निर्माण कार्य शुरू आरम्भ करने के पूर्व पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा विज्ञापित अधिसूचना संख्या 1067 दिनांक 14.9.06 में निहित प्राविधानों, इसमें समय-समय पर संशोधनों तथा उक्त मंत्रालय द्वारा अपेक्षित अन्य व्यवस्थाओं / निर्देशों के अनुसार पर्यावरण मूल्यांकन पुनरीक्षित अनापत्ति प्रमाण पत्र भवन प्रकोष्ठ में प्रस्तुत करना अनिवार्य है तथा यह स्वीकृति पर्यावरण सम्बन्धित पुनरीक्षित अनापत्ति प्राप्त करने हेतु ही अनुमन्य होगी। पर्यावरणीय अनापत्ति पत्र में उल्लेखित क्षेत्रफल की सीमा तक निर्माण नियमानुसार कराया जा सकता है तथा पर्यावरणीय अनापत्ति पत्र में उल्लेखित क्षेत्रफल की सीमा के उपरान्त निर्माण से पूर्व पुनरीक्षित पर्यावरणीय अनापत्ति प्राप्त कर प्राधिकरण में प्रस्तुत करनी होगी।
37. सभी प्रस्तुत की गयी/की जाने वाली अनापत्ति प्रमाण पत्र यथा - प्रदूषण, पर्यावरण, स्ट्रक्चर स्टेबिलिटी, अग्निशमन, एअर पोर्ट अथोरिटी से अनापत्ति पत्र, अदेयता प्रमाण पत्र आदि में अंकित सभी प्रतिबन्धों एवं शर्तों का यथावत अनुपालन किये जाने का उत्तरदायित्व आवेदक/आवेदक का होगा, जिसका पालन न किये जाने की दशा में मानचित्र स्वतः निरस्त एवं निष्प्रभावी माने जायेगे।
38. माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित मूल प्रार्थना पत्र सं० 21/2012 वर्धमान कोशिक बन्नाम युनिटन ऑफ इण्डिया एवं अन्य तथा मूल प्रार्थना पत्र सं० 95/2014 सजय कुलश्रेष्ठ बन्नाम युनिटन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 10.04.2015 में दिये गये निर्माण कार्य हेतु विशा निर्देश एवं वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार के दिशा निर्देश - 2010 का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करना होगा तथा इस आशय का शपथ पत्र भी प्रस्तुत करे।
39. मानीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में योजित याचिका संख्या 30511 of 2016 में पारित आदेशों का अनुपालन करना होगा।
40. संदर्भित योजना में विभिन्न न्यायालयों में लम्बित याचिकाओं पर माननीय न्यायालयों द्वारा पारित आदेशों को अनुपालन सुनिश्चित करना होगा।

स्वीकृत मानचित्र इस पत्र के साथ संलग्न है। भवन का निर्माण कार्य मानचित्र की वैधता तिथि के अन्तर पूरा होने के उपरान्त अधिभोग प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र दें तथा दिनां ज्ञात नौएडा प्राधिकरण से अधिभोग प्रमाण पत्र प्राप्त किये बिना भवन को प्रयोग में न लाये।



- पॉकेट का क्षेत्रफल = 8,273.00 वर्ग मीटर
- अनुमन्य एफ0ए0आर0 (स्वीकृत भू-विन्यास मानचित्र के अनुसार @ 20) = 16,546.00 वर्ग मीटर
- अनुमन्य भू - आच्छादन @ 40% = 3,309.20 वर्ग मीटर
- अनुमन्य ऊँचाई = 24.0 मीटर
- प्रस्तावित ऊँचाई = 24.0 मीटर

विभिन्न तलों पर किये गये प्रस्तावित क्षेत्रफल का तल-वार विवरण निम्नानुसार है:

तल	अनुमन्य एफ0ए0आर0 (वर्ग मी0)	प्रस्तावित एफ0ए0आर0 (वर्ग मी0)
प्रथम तहखाना(लोअर भूतल)	...	3063.140
भूतल	3,309.20	3186.519
प्रथम तल	शेष एफ0ए0आर0	2774.854
द्वितीय तल		2515.206
तृतीय तल		2515.206
चतुर्थ तल		1069.826
पंचम तल		1069.826
कुल एफ.ए.आर.	16,546.00	16,194.58
प्रथम तहखाना(लोअर भूतल)	सेटबैक छोड़ने के उपरांत	1768.416
द्वितीय तहखाना		5936.035
सेवा क्षेत्रफल	2,481.90	1186.85
कुल क्षेत्रफल (एफ.ए.आर., तहखाना एवं सेवा क्षेत्रफल सहित)	= 16,194.58 + 1768.416 + 5936.035 + 1186.85 = 25,085.88 वर्ग मीटर	

प्रस्तावित भू-आच्छादन क्षेत्रफल = 3309.129 वर्ग मी0 (39.99%)
 प्रस्तावित एफ0ए0आर0 = 16,194.58 वर्ग मी0 (1.96)

Map for proposed Building is as per Bye
 Laws. Submitted for approval.

नाम...
 पद...
 नोएडा

प्रतिलिपि:-

1. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण को सादर सूचनाथ ।
2. कार्यदायी संस्था मैसर्स जेपी इन्फ्राटेक लिमिटेड, सेक्टर - 128, नोएडा को सूचनाथ ।
3. मैसर्स जेपी इन्फ्राटेक लिमिटेड की नियोजन विभाग को मास्टर फाइल में रिकार्ड update करने हेतु ।